

**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**लोकसभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2100**  
05.08.2024 को उत्तर के लिए

**इकोमार्क योजना**

**2100. श्री हरीभाई पटेल:**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इकोमार्क योजना के अंतर्गत यथापरिकल्पित पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, पारिस्थितिकी के प्रति जागरूक विकल्पों को प्रोत्साहित करने और निर्माताओं को पारिस्थितिकी अनुकूल उत्पादन की ओर जाने के लिए प्रेरित करने के अपने प्रयास में सफल रही है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए बजटीय आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता व्यवहार और पर्यावरणीय स्थिरता पर इकोमार्क योजना के प्रभाव का आकलन किया है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**  
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ग): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 21 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 85 (अ) (अनुबंध-1) द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाने के संबंध में 'ईकोमार्क' नामक एक स्कीम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू एवं अन्य उपभोक्ता उत्पादों, जो कुछ पर्यावरणीय मापदंडों के साथ-साथ भारतीय मानकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, के लिए प्रत्यायन एवं लेबल लगाने की व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

ईकोमार्क स्कीम की निगरानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा की जाती है जो ईकोमार्क लेबल प्रदान करने, उसके नवीकरण, निलंबन तथा निरस्तीकरण तथा किसी सामग्री या पदार्थ, जिसके संबंध में ईकोमार्क का उपयोग किया गया है, के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

उत्पादक/विनिर्माता उचित प्रक्रिया के अनुसार, बीआईएस से अपने उत्पाद के लिए ईकोमार्क लेबलिंग का अनुरोध करते हैं।

\*\*\*\*



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]  
No. 71]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1991/फाल्गुन 2, 1912  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1991/PHALGUNA 2, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकल्प के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(2) स्कॉम के उद्देश्य :

(पर्यावरण, वन और वन्यजंतु विभाग)

इस स्कॉम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:--

संकल्प

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1991

सा.का.नि. 85(अ).-- (1) सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से  
अनुकूल पधार्थों की लेबल लगाने की एक स्कॉम चलाने का निर्णय लिया  
है। यह स्कॉम राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगी और इसमें ऐसे घरेलू तथा  
अन्य उपभोक्ता उत्पादों के प्रत्यायन और लेबल लगाने की व्यवस्था होगी,  
जो उस उत्पाद के लिए निर्धारित भारतीय मानकों की गुणवत्ता संबंधी  
अपेक्षाओं के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी कुछ मापदण्डों को पूरा करते  
हैं। इस लेबल को "ईकोमार्क" कहा जाएगा और इसका विज्ञापन बाद  
के अधिसूचित की जायेगी।

कोई भी उत्पाद जिसका निर्माण, प्रयोग अथवा निपटान ऐसे तरीके  
से किया जाता है, जिससे उससे अल्पथा होने वाला नुकसान काफी हद  
तक कम हो जाता है तो उनको पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद  
कहा जा सकता है।

- (1) उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए  
विनिर्माताओं और प्रायानकों को प्रोत्साहन देना।
- (2) कम्पनियों के उत्पादों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम  
करने के लिए उनके द्वारा वास्तविक पहल करने पर उन्हें  
पुरस्कार देना।
- (3) उपभोक्ताओं के खरीद संबंधी निर्णयों में पर्यावरणीय तथ्यों को  
ध्यान में रखने का जानकारी प्रदान करके उन्हें उनके दैनिक  
जीवन में पर्यावरण के प्रति सचेत बनने में मदद करना।
- (4) नागरिकों को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना  
जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो।
- (5) अल्पसंख्यक पर्यावरण के स्तर में सुधार करना और संसाधनों  
के सतत प्रबंध को प्रोत्साहित करना।

## (3) प्रयासनात्मक और संगठनात्मक ढाँचा

तीन चरणों के अन्त में "इकोमार्क" प्रदान किया जायेगा :--

- (1) स्कीम के तहत आने वाली उत्पाद श्रेणियों के निर्धारण के लिए तथा स्कीम कार्यप्रणाली के संवर्धन, कार्यान्वयन, भाषी विकास और सुधार के लिए नीतियों के निर्माण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थापित एक संचालन समिति।
- (2) चुने जाने वाले विशिष्ट उत्पाद और अपनाये जाने वाले अलग-अलग मापदण्ड, तथा एक से अधिक मापदण्ड होने पर उनके बीच यथासंभव पारस्परिक प्राथमिकता के अभिव्यक्ति के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थापित एक तकनीकी समिति।
- (3) उत्पादों के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए तथा एक शुल्क का भुगतान करने पर लेबल के प्रयोग की अनुमति देने के लिए विनिर्माताओं के साथ एक संविदा तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो।

## 3.1.1 संचालन समिति

स्कीम के तहत लाये जाने वाली उत्पाद श्रेणियों के बारे में निर्णय करने तथा इस स्कीम के संवर्धन, भाषी विकास और सुधार के लिए नीतियों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक संचालन समिति स्थापित की जायेगी। उत्पाद श्रेणियाँ समय समय पर अधिसूचित की जायेगी।

संचालन समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :--

- (क) "इकोमार्क" के लिए शर्षाचिह्न का चुनाव।
- (ख) स्कीम के संवर्धन और स्वीकृति के लिए जन-जागरूकता पैदा करने संबंधी गतिविधियाँ।
- (ग) स्कीम के तहत आने वाली उत्पाद श्रेणियों का निर्धारण।
- (घ) उद्योग की इस स्कीम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तरीकों का समन्वय करना।
- (ङ) अन्य मंत्रालयों, सरकारी विभागों, उद्योग, एसोसिएशनों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों और उपभोक्ता संगठनों का भागीदारी प्राप्त करना।
- (च) स्कीम के भाषी विकास के लिए नीतियों का निर्माण करना।
- (छ) किसी वस्तु या प्रक्रिया के मानकीकरण अथवा किसी वस्तु या प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के कार्य में लगी भारतीय अथवा बाह्य संस्थाओं का अभिव्यक्ति करना तथा उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए सहायता को सिफारिश करना।
- (ज) उपभोक्ता संगठनों द्वारा उत्पादों की गुणवत्तात्मक जांच के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनके परिष्कारों का प्रामाण्यता में प्रचार करना।

(1) उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं के हित में "इकोमार्क" उत्पादों के निर्धारण के लिए किये जाने वाले अनुसंधान के लिए महायत्ना प्रदान करवा।

समिति की संरचना निम्नवत् होगी :--

- |                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| (1) सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग              | अध्यक्ष |
| सचिव, नागरिक आपूर्ति<br>(या उनके प्रतिनिधि)  | सदस्य   |
| सचिव, उद्योग मंत्रालय<br>(या उनके प्रतिनिधि) | सदस्य   |

(4) सचिव, रसायन और पेट्रो-केमिकल मंत्रालय  
(या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(5) सचिव, कृषि मंत्रालय  
(या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(6) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
(या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(7) महानिदेशक, तकनीकी विकास  
(या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(8) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान  
परिषद (या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(9) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं  
(या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(10) विकास आयुक्त, लघु उद्योग  
(या उनके प्रतिनिधि)

सदस्य

(11) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सदस्य

(12) उद्योग, उपभोक्ता दलों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों के हितों को देखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले, गैर सरकारी सदस्य जिनकी संख्या पांच से अधिक न हो, इनमें से कम से कम दो सदस्य उपभोक्ता दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(13) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में "इकोमार्क" प्रभारी अधिकारी।

सदस्य सचिव

विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष अपेक्षित विशेषज्ञता के मामले में, समिति विशेषज्ञों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

समिति की अवधि तीन वर्ष या आठमासी पुनर्गठन तक के लिए होगी।

## 3.1.2 तकनीकी समिति

व्यक्तिगत उत्पादों की पहचान और मापदंड निर्धारित करने हेतु "इकोमार्क" प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक तकनीकी समिति गठन किया जायेगा। केन्द्रीय मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के अधीन कार्य करेगी।

तकनीकी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :--

- (1) पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल जैसे वर्गीकरण के लिए विशिष्ट उत्पादों की शिनाख्त करना।
- (2) अन्य देशों में मौजूदा जानकारी और अपनाए जा रहे पर्यावरण मापदंडों की समीक्षा।
- (3) विशिष्ट उत्पादों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नामोविष्ट करने के लिए उपयुक्त मापदंड और पैरामीटरों की सिफारिश करना, इनमें प्रत्येक उत्पाद के लिए वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मापदंड भी शामिल हैं, जिसे इस प्रयोजन तथा अर्थात् संभव हो, उनका परस्पर प्राथमिकता के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
- (4) मापदंड के निर्धारण के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकीयों की समीक्षा।
- (5) उत्पादों के मूल्यांकन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को विभिन्न प्रयोगशालाओं और विश्लेषकों की सिफारिश करना।
- (6) समय समय पर उत्पादों के पर्यावरण प्रभाव और मापदंडों का मूल्यांकन।

- (7) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, जिनमें अपने द्वारा किए गए नमूना निरीक्षण भी आते हैं।
- (8) उपभोक्ता संगठनों द्वारा उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण के लिए परीक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने सहित यदि अपेक्षित हों तो प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए उप-समितियाँ गठित करना।
- (9) विशिष्ट उत्पादों के बारे में तकनीकी समिति को सलाह देने के लिए यह विशेषज्ञों का पैलब बना सकती है।

समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

- |                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड                                                                                                                                                | अध्यक्ष    |
| (2) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली                                                                                                                                                 | सदस्य      |
| (3) निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर।                                                                                                                       | सदस्य      |
| (4) निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे                                                                                                                                                 | सदस्य      |
| (5) महानिदेशक, नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता                                                                                                                                                     | सदस्य      |
| (6) निदेशक, भौतिक विज्ञान-विज्ञान अनुसंधान, संस्थान, लखनऊ।                                                                                                                                   | सदस्य      |
| (7) निदेशक, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, प्रहमवाबाद।                                                                                                                              | सदस्य      |
| (8) उद्योग तथा उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर-सरकारी सदस्य, जिनकी संख्या 5 से अधिक न हो, इनमें से तीन केन्द्र सरकार द्वारा नामजद सदस्य उपभोक्ता दलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। |            |
| (9) प्रभारी अधिकारी (इको मार्क स्कीम), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड                                                                                                                      | सदस्य-सचिव |
- समिति विभिन्न उत्पादों के बारे में विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर सहयोजित कर सकती है।

समिति का कार्यकाल तीन मास या इसके पुनर्गठन होने तक है।

### 3.1.3 प्रशासन :

भारतीय मानक ब्यूरो स्कीम का कार्यान्वयन करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) इको-मार्क के लिए उत्पाद का मूल्यांकन, इको मार्क देने के लिए उत्पाद का प्रमाण।
- (2) इको-मार्क के प्रयोग के लिए लाइसेंस को निलंबित, रद्द करने के बारे में समीक्षा करना।
- (3) निरीक्षण करना और किसी जरूरी सामग्री अथवा पदार्थों के विश्लेषण के लिए नमूने लेना, ताकि यह पता चल सके कि क्या कोई वस्तु या उत्पाद, जिसके संबंध में इकोमार्क का प्रयोग किया गया है, अनुसंधान के अनुरूप है अथवा इकोमार्क का किसी वस्तु या प्रक्रम के संबंध में लाइसेंस सहित या लाइसेंस के बिना प्रयोग किया गया है।

### (4) प्रमाणन और लाइसेंस देना :

4.1 इस स्कीम के अन्तर्गत, निर्माणकर्ताओं द्वारा उन उत्पादों के परीक्षण तथा प्रमाणन के लिए जो मुद्रित पर्यावरणीय मानक के अनुसार उनकी अनुपालना के लिए अधिसूचित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, निर्धारित फार्म में आवेदन करेंगे। शुल्क सहित लाइसेंस से संबंधित शर्तें

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम तथा उसके तहत बने विनियमों के अनुसार होंगी।

4.2 परीक्षण और प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जायेगा। भारतीय मानक मार्क वाली उत्पाद श्रेणियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के कार्य को सामान्यतया तीन माह के भीतर पूरा करेगा। इकोमार्क के लिए पात्र प्रमाणित वस्तुओं को निर्धारित अवधि के लिए इको मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जायेगा।

4.3 निर्धारित अवधि के बाद उत्पाद का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा मार्क के लिए पुनः लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

### 5. इकोमार्क के लिए मापदंड :

प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मापदंड अधिसूचित किया जायेगा तथा बाद में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानकों में बदला जायेगा।

मापदंड व्यापक पर्यावरणीय स्तरों तथा पहलुओं के लिए बनाए जाएंगे जो विशेष रूप से उत्पाद स्तर के लिए होंगे। उत्पादों की जांच निम्नलिखित मुख्य पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में की जाएगी :—

- (क) उपयोग तथा निपटान प्रक्रिया में अन्य उत्पादों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग।
- (ख) जिनका पुनः प्रयोग किया जाता हो, जो पुनः प्रयोग करने योग्य हों और जो पुनः प्रयोग किए गए उत्पादों अथवा जैव अवक्रमणीय उत्पादों से बने हों, जबकि अन्य तुलनीय उत्पाद ऐसे नहीं हों।
- (ग) जो अन्य तुलनीय उत्पादों की तुलना में गैर नवीकरणीय संसाधनों सहित गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हों।
- (घ) उत्पाद के प्रयोग के संबंध में अधिकतम पर्यावरणीय प्रभाव वाले प्रतिकूल प्राथमिक मापदंड में कमी करने में योगदान देना चाहिए और यह मापदंड प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए विशेष रूप से निर्धारित हो।

उत्पाद के लिए प्राथमिक मापदंड निर्धारित करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

- (क) कच्ची सामग्री के स्रोतों सहित उत्पादन प्रक्रिया;
- (ख) प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति;
- (ग) पर्यावरण पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव;
- (घ) उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण;
- (ङ) उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट का प्रभाव तथा सीमा;
- (च) उत्पाद और उसके पात्र का निपटान;
- (छ) "अपशिष्ट" तथा पुनः प्रयोग वाली सामग्री का उपयोग;
- (ज) पुनः प्रयोग की प्रक्रिया अथवा पैकेजिंग के लिए उपयुक्तता;
- (झ) जैव-अवक्रमणीयता।

मापदंड की समय समय पर पुनरीक्षा की जाएगी। जनता की टिप्पणियों के लिए 60 दिन के लिए मापदंड के मसौदे की प्रति प्रकाशित की जायेगी।

### 6. अवार्ड की अवधि :

लेबल कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और वार्षिक रूप से आगे भी चलता रहेगा। भारतीय मानक ब्यूरो को, प्रामाण्य सूचना मिलने पर किसी भी समय लाइसेंस वापस लेने का अधिकार है। तकनीकी समिति के परामर्श से प्रौद्योगिकी के विकास अथवा किसी

प्रत्येक संकेत कारकों से मापदंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में भी अर्बाई वापस लिया जा सकता है। अर्बाई की समयावधि की समय समय पर पुनरीक्षा की जाएगी।

7. लोगो :

“इकोमार्क” के लिए “लोगो” के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

8. उपभोक्ता जागरूकता :

पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में उपभोक्ता दलों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। उत्पादों की तुलनात्मक जांच तथा सूचना के प्रसार के लिए उपभोक्ता संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

[23/1/91-मी एल]

15 फरवरी, 1991

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

### RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1991

G.S.R. 85(E).—(1) The Government have decided to institute a Scheme on Labelling of Environment Friendly Products. The scheme will operate on a national basis and provide accreditation and labelling for household and other consumer products which meet certain environmental criteria along with quality requirements of the Indian Standards for that product. The Label shall be known as the “ECOMARK” and will be of the design to be notified.

Any product which is made, used or disposed of in a way that significantly reduces the harm it would otherwise cause the environment could be considered as Environment Friendly Product.

(2) Objectives of the Scheme :

The specific objectives of the scheme are as follows :—

- (i) To provide an incentive for manufacturers and importers to reduce adverse environmental impact of products.
- (ii) To reward genuine initiatives by companies to reduce adverse environmental impact of their products.
- (iii) To assist consumers to become environmentally responsible in their daily lives by providing information to take account of environmental factors in their purchase decisions.
- (iv) To encourage citizens to purchase products which have less harmful environmental impacts.

(v) Ultimately to improve the quality of the environment and to encourage the sustainable management of resources.

(3) Administrative and Organisational Structure—

There will be three stages leading to the award of the “ECOMARK”—

1. A steering committee, set up in the Ministry of Environment and Forests, to determine the product categories for coverage under the scheme and also formulate strategies for promotion, implementation, future development and improvements in the working of the scheme.

2. A technical committee, set up in the Central Pollution Control Board, to identify the specific product to be selected and the individual criteria to be adopted, including, wherever possible, inter-se priority between the criteria if there be more than one.

3. The Bureau of Indian Standards to assess and certify the products and draw up a contract with the manufactures, allowing the use of the label, on payment of a fee.

3.1.1 Steering Committee :

A Steering Committee shall be set up in the Ministry of Environment and Forests by the Central Government to decide the product categories to be taken up under the scheme, and to formulate the strategies for promotion, future development and improvement of this scheme. The product categories will be notified from time to time.

The functions of the Steering Committee shall be as follows :—

- (a) Selection of the logo for the “ECOMARK”.
- (b) Activities related to creation of mass awareness for promotion and acceptance of the scheme.
- (c) Determining the product category to be taken up under the scheme.
- (d) Co-ordinating ways of ensuring that industry is actively involved in the scheme.
- (e) Securing the involvement of other Ministries, Government Departments, Industry Associations and other Non-Governmental Organisations and Consumer organisations.
- (f) Formulation of strategies for future development of the scheme.
- (g) Identifying institutions in India or outside which are engaged in the standardization of any article or process or improvement of quality of any article or process and recommending assistance to build consumer awareness.
- (h) Promoting programmes of Comparative Testing of products by Consumer Organisations and dissemination their results to the general public.

- (i) Supporting any research for the formulation of ECOMARK products in the interests of Consumer groups.

The composition of the Committee shall be as follows :—

- (i) Secretary, Deptt. of Environment & Forests.  
Chairman
- (ii) Secretary, Deptt. of Civil Supplies, (or his representative).  
Member
- (iii) Secretary, Ministry of Industry, (or his representative).  
Member
- (iv) Secretary, Ministry of Chemicals & Petrochemicals (or his representative).  
Member
- (v) Secretary, Ministry of Agriculture (or his representative).  
Member
- (vi) Secretary, Ministry of Information & Broadcasting (or his representative).  
Member
- (vii) Director General of Technical Development (or his representative).  
Member
- (viii) Director General, Council of Scientific & Industrial Research, (or his representative).  
Member
- (ix) Director General, Health Services (or his representative).  
Member
- (x) Development Commissioner, Small Scale Industries (or his representative).  
Member
- (xi) Chairman, Central Pollution Control Board  
Member
- (xii) Not more than five non officials, to be nominated by the Central Government; to represent the interests of industry, consumer groups or other non governmental organisations; of which at least two will represent Consumer groups.
- (xiii) Officer in charge, "ECOMARK" in the Ministry of Environment & Forests.  
Member-Secy.

In case of special requirement of expertise in specific fields, the committee may invite experts as special invitees.

The terms of the Committee shall be for three years or until reconstituted.

### 3.1.2 Technical Committee

A Technical Committee shall be constituted by the Central Government to identify the individual products and determine the criteria for awarding the ECOMARK. The Committee shall function in the Central Pollution Control Board, New Delhi.

The following shall be the functions for the Technical Committee :—

- (i) Identification of specific products for classifying as environment friendly.
- (ii) Reviewing the existing state of knowledge and the environmental criteria being followed in other countries.

- (iii) Recommend the most appropriate criteria and parameters to designate various products as environment friendly, including the most important criteria or individual products that have been specified for the purpose and their inter-se priority, whenever possible.

- (iv) Review the various technologies available for determining the criteria.

- (v) Recommend various laboratories and analysts for product assessment to the Ministry of Environment and Forests,

- (vi) Evaluation of the environmental impact of the products and criteria from time to time.

- (vii) To review from time to time, the implementation of the schemes by the Bureau of Indian Standards (BIS), including the sample inspections done by it.

- (viii) Set up sub-committees for each product category if so required, including formulation of test programmes for comparative testing of products by consumer organisations.

- (ix) The technical committee may set up expert panels to advise it for specific products.

The composition of the Committee shall be :—

- (i) Chairman, Central Pollution Control Board.  
Chairman
- (ii) Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi.  
Member
- (iii) Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur.  
Member
- (iv) Director, National Chemical Laboratory, Pune.  
Member
- (v) Director General, National Test House Calcutta.  
Member
- (vi) Director, Industrial Toxicology Research Institute, Lucknow.  
Member
- (vii) Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad  
Member
- (viii) Not more than five non-officials to represent the interest of industry & consumer groups, of which atleast three will represent the Consumer groups be nominated by the Central Government.
- (ix) Officer in charge, (Eco-Mark scheme) Central Pollution Control Board.  
Member-Secy.

The Committee may co-opt experts on different products, as special invitees.

The terms of the Committee shall be for three years or until reconstituted.

### 3.1.3 Administration

The Bureau of Indian Standards (BIS) shall implement the scheme.

Following shall be the functions of the BIS:—

- (1) Assess the product for Ecomark, certify the product for award of the Ecomark;

(2) Review suspend or cancel a licence, for the use of the Ecomark;

(3) Mark inspections, and take such samples for analysis of any material or substances as may be necessary to see whether any article or product in relation to which the Ecomark has been used, conforms to the contract or whether the Ecomark is improperly used in relation to any article or process with or without a licence;

(4) Certification and Licensing :

4.1 Under the scheme the manufacturers shall apply for testing and certification of products which fall under the notified categories in terms of their compliance with published environmental criteria in the prescribed form. The terms and conditions governing operations of the licences including fees shall be as per the Bureau of Indian Standards Act and the regulations framed there under.

4.2 Testing and certification shall be carried out by the Bureau of Indian Standards. For product categories which have the Indian Standards mark, the Bureau of Indian Standards will ordinarily complete the task of certification within a period of three months. Products certified as eligible for the ECOMARK shall be licenced to carry the ECOMARK for a prescribed time period.

4.3 The product shall be reassessed after the prescribed period and the licence fee shall have to be paid again for the mark.

5. The Criteria for Ecomark :

Environmental criteria for each product category will be notified by the Central Government and later on shall be translated into Indian Standards by the Bureau of Indian Standards. The criteria shall be for broad environmental levels and aspects, but will be specific at the product level. Products will be examined in terms of the following main environmental impacts :—

- (a) That they have substantially less potential for pollution than other comparable products in production, usage and disposal.
- (b) That they are recycled, recyclable, made from recycled products or biodegradable, where comparable products are not.
- (c) That they make significant contribution to saving non-renewable resources, including non renewable energy sources and natural resources, compared with comparable products.
- (d) That the product must contribute to a reduction of the adverse primary criteria which has the highest environmental impact associated with the use of the product, and which

will be specifically set for each of the product categories.

[In determining the primary criteria for a product the following shall be taken into account :—

- (a) Production process including source of raw materials;
- (b) Case of Natural Resources;
- (c) Likely impact on the environment;
- (d) Energy conservation in the production of the product;
- (e) Effect & extent of waste arising from the production process;
- (f) Disposal of the product and its container;
- (g) Utilization of "Waste" and recycled materials;
- (h) Suitability for recycling or packaging
- (i) Biodegradability;

The criteria shall be reviewed from time to time. The draft criteria shall be release for public comments for a period of sixty days.

6. Period of Award :

The label shall be awarded for a minimum period of one year and shall roll forward annually. The Bureau of Indian Standards have the powers to withdraw the licence at any time if they find any misleading information. The award may also be withdrawn in case of any change in criteria due to the advancement of technology or any other valid reasons, in consultation with the technical committee. The time period of the award may be reviewed from time to time.

7. The Logo :

The Logo for the "ECOMARK" shall be as notified by the Central Government.

8. Consumer Awareness :

The Ministry of Environment & Forests shall take appropriate measures to launch a country wide mass awareness campaign, including encouraging consumer groups. Assistance will be given to consumer organisations for comparative testing of products and dissemination of information to the public.

#### ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy there of communicated to all concerned.

[No. 23|1|91-PL]

MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

15th February, 1991